ACM आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

मोहन बनाम रहमान

727/08 इ.सं.

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ. उप.। जवाब दावा हेतु समय उप। जवाब से प्रतिवादी अधिवक्ता ने निरस्त पूर्ण की। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 05 01/2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
5/1/26	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एंड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/1/26 को पेश हो।	
06/1/26	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ. उप.। वादीगण की ओर से अधिवक्ता वादी ने लिखित बहस पेश की तथा बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता 1, 2 व 4 ता 8 ने भी लिखित बहस पेश करना चाहा। तदुपरान्त लिखित बहस पेश की। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4 02/2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
04/02/26	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ. उपस्थित। तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादीगण के विरुद्ध साबित होने तथा तनकी संख्या 7 का उत्तर [illegible] के विरुद्ध साबित होने से [illegible] एवं [illegible] केवल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 727/2008

वाद प्रस्तुति दिनांक –30.06.2008

1. मोहन लाल दत्तक पुत्र कालिया
2. कालिया (फौत)

2/1. श्रीमति भूरी देवी पत्नी स्व० कालिया
2/2. देवाराम पुत्र स्व० कालिया
2/3. हनुमान सहाय पुत्र स्व० कालिया
2/4. गिरधारी पुत्र स्व० कालिया निवासी दौलतपुरा मय बैनाड वाया झोटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2/5. सोनी उर्फ भैरी पुत्री स्व० कालिया पत्नी रामचन्द्र निवासी जगन्नाथपुरा पोस्ट सेवापुरा वाया हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2/6. कौशल्या पुत्री स्व० कालिया पत्नी बाबूलाल निवासी ग्राम बासना पोस्ट बासना वाया भानपुर कला तहसील जमवारमगढ
2/7. इन्द्रा पुत्री स्व० कालिया पत्नी रामदयाल निवासी ग्राम दीपपुरा टोडी पोस्ट सेवापुरा वाया हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2/8. छोटी देवी पुत्री स्व० कालिया पत्नी जगदीश प्रसाद निवासी बासना पोस्ट बासना वाया भानपुर कला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

3. रामलाल पुत्र स्व० धन्ना 2
4. बाबूलाल पुत्र स्व० धन्ना
5. प्रकाश पुत्र स्व० धन्ना

जाति गुर्जर निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद (फौत)

1/1. श्रीमति रामेश्वरी देवी पत्नी स्व० प्रहलाद जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर 26–ए, केशव नगर सिविल लाईन जयपुर।
1/2. बंशीधर पुत्र स्व० प्रहलाद
1/3. महेशचन्द पुत्र स्व० प्रहलाद
1/4 कैलाशचंद पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद
1/5. गिर्राज पुत्र स्व० प्रहलाद
1/6. ओमप्रकाश पुत्र स्व० प्रहलाद
1/7. सत्यनारायण पुत्र स्व० प्रहलाद समस्त जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर 26–ए, केशव नगर सिविल लाईन जयपुर।
1/8. कमला देवी पत्नी प्रहलाद पत्नी ... जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर 2304 लक्ष्मीनारायण जी का मन्दिर दीनदयाल जी का रास्ता पुरानी बस्ती जयपुर।

2. रामधन पुत्र शिवसहाय (फोत)

2/1. अशोक
2/3. अजय

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

2/4. अरविन्द
पुत्रान स्व० रामधन जाति ब्राहम्ण नि० दौलतपुरा बैनाड हाल प्लाट नं० 72 शंकर विहार चरणनदी, सरकारी स्कुल के पास मुरलीपुरा जयपुर

2/4. संतोष

2/5. सुमन
पुत्रियां स्व० रामधन जाति ब्राहम्ण नि० दौलतपुरा बैनाड हाल प्लाट नं० 72 शंकर विहार चरणनदी, सरकारी स्कुल के पास मुरलीपुरा जयपुर

3. हरिनारायण पुत्र शिवसहाय, जाति ब्राह्मण, निवासी दौलतपुरा, तहसील आमेर।

4. रामचन्द्र पुत्र गंगाराम 3

5. छीतर पुत्र गंगाराम

6. मन्नालाल पुत्र गंगाराम

7. नानूराम पुत्र गंगाराम

8. बदरी पुत्र गंगाराम
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर जिला जयपुर।

9. रामस्वरूप पुत्र जैना

10. गोपाल पुत्र जैना

11. फूलचन्द पुत्र जैना
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

12. महेश पुत्र सीताराम

13. मुकेश पुत्र सीताराम
जाति गुर्जर निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

14. नानगा पुत्र भूरा (मृतक दौराने वाद)

14/1. रामपाल पुत्र स्व० नानगा

14/2. गोपीचन्द पुत्र स्व० नानगा

14/3. भागीरथ पुत्र स्व० नानगा निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

15. भूराराम पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

15/1 बलराज.

15/2. कैलाश
पुत्रान स्वर्गीय भूरा, जाति गुर्जर निवासी दौलतपुरा बैनाड़ तहसील आमेर जिला जयपुर।

15/3. कमला पुत्री स्व. भूरा पत्नी प्रभू जाति गुर्जर, निवासी मूण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर।

15/4. पतासी पुत्री स्व. भूरा पत्नी श्रवण जाति गुर्जर, निवासी मूण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर।

15/5. सायर पुत्री स्व. भूरा पत्नी स्व. हनु[illegible] तहसील चौमू जिला जयपुर।

15/6. विष्णु पुत्र स्व. जगदीश पुत्र स्व. [illegible] बैनाड़ तहसील आमेर जिला जयपुर।

15/7. राजबाई उर्फ राजू पत्नी स्व. जगदीश निवासी दौलतपुरा बैनाड़ तहसील आमेर जिला जयपुर।

15/8. टीना देवी पुत्री स्व. जगदीश, निवासी दौलतपुरा बैनाड़ तहीसल आमेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

/9. कोमल

रामनारायण (मृतक दौराने वाद) उर्फ नारायण

/1. रामलाल पुत्र रामनारायण

/2. जयपाल पुत्र रामनारायण

/3. प्रकाश पुत्र रामनारायण

निवासी ग्राम दौलतपुरा बैनाड तहसील आमेर जिला जयपुर।

6/4. मन्ना देवी उर्फ मनभर देवी पत्री स्व० रामनारायण पत्नी पांचूराम गुर्जर निवासी टोडी दीपा पोस्ट हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।

17. घासीराम पुत्र गणेश (दौराने वाद फौत)

/1. श्रीमति केसर देवी पत्नी स्व० घासीराम

17/2. बनवारी लाल पुत्र स्व० घासीराम

जाति गुर्जर निवासी दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

17/3. विमला देवी पुत्री स्व० घासीराम पत्नी अर्जुन लाल निवासी लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

17/4. भागोती पुत्री स्व० घासीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति गुर्जर निवासी लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

17/5. बिरदी देवी पुत्री स्व० घासीराम पत्नी छाजूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

17/6. मीरा पुत्री स्व० घासीराम पत्नी सुरेश उर्फ बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी सेवापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

18. सोहनराम (फौत)

18/1. बाबूलाल पुत्र सोहनराम

18/2. शंकर पुत्र सोहनराम (दौराने वाद फौत)

18/2/1. कमली देवी पत्नी शंकर

18/2/2. भैरूराम पुत्र शंकर

18/3. हजफ (लक्ष्मादेवी पत्नी सोहनराम मृत्यू होने व कायम मुकाम पूर्व से ही रिकोर्ड पर होने के कारण नाम डिलिट किया गया

18 / 4. श्रवणी सोहनराम पत्नी रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी सिरोही तहसील आमेर

18/5. चाद पुत्री सोहनराम पत्नी मदनलाल जाति गुर्जर निवासी सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर

19 रमशी उर्फ रामेश्वर पुत्र गणेश (मृतक दौराने वाद)

19/1. चन्दालाल

19/2. राजू

19/3. जगदीश

19/4. सूरजमल

19/5. काना

19/6 छूटन

पुत्रान स्व० रमशी उर्फ रामेश्वर दौलतपुरा बैनाड तह[illegible] आ[illegible] जिला जयपुर

20 तहसीलदार आमेर जिला जयपुर

21. उपपंजीयन आमेर जिला जयपुर

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

स्थिति :–

(1) श्री हनुमान प्रसाद चौधरी – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) श्री बंशीधर जाट – अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1, 2, 4 ता 8 की ओर से
(3) श्री बनवारी लाल शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 14/1 से 14/3
(4) श्री एस.जे.गिरी – अधिवक्ता अन्य प्रतिवादीगण

दिनांक 04.02.2026

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर, में भूमि गत खसरा नंबर अन्य खसरा नंबर के अलावा, खसरा नंबर 473 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नंबर 474 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। साधिया, काल्या, धन्ना पुत्र नाथ्या, नानगा पुत्र भूरा, गणेश पुत्र रूडा व जैना पुत्र मांगीलाल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसका अंकन भूअभिलेख में दर्ज है। साथिया और धन्ना का देहांत हो गया है और वादीगण 1 व 3 ता. 5 उनके उत्तराधिकारी हैं। गणेश का भी देहांत हो गया है। प्रतिवादी 15 ता. 19 भी उनके उत्तराधिकारी हैं और श्री जैना का देहांत हो गया है। प्रतिवादीगण 9 ता 13 उनके उत्तराधिकारी हैं जिन्हें भी तरतीबी पक्षकार बनाया गया है, जबकि उनके विरूद्व कोई सहायता नहीं चाही गई है। उक्त क्षेत्र का वर्तमान बंदोवस्त होने पर भूमि खसरा नं. 474 के कई टुन्डे कर वर्तमान खसरा नं. 341, 359, 358, 356, मैं अन्य नम्बरों के साथ शामिल कर दिये एवं बसरा नं. 473 के कई टुकडे कर नवीन खसरा नं. 340 रकबा 0.04 है. एवं खसरा नंबर में शामिल कर दिया किंतु उक्त नम्बरान बनाते समय यह नहीं बताया कि 473 एवं 474 का कितना मिन रकबा किस नम्बर में मिला दिया जिसका स्पष्ट किया जाना आवश्यक था । गत व वर्तमान मानचित्र के मिलान करने से यह स्पष्ट है कि हाल जमाबंदी व हाल मानचित्र में गत के मुकाबले वादीगण का रकबा कम कर दियागया । जो दोनों मानचित्रों को मिलाने से स्पष्ट है । वर्तमान खतरा नं. 340, जिसे बगहा नं. 473 से बनना बताया गया है में वादीगण के आवासीय मकान बने हुए है किंतु उक्त अंतरा नं. के उत्तर, पूर्व व पश्चिम में नवीन खसरा नं. 340/960 रकबा 0.31 है. बनाया गया है वह वास्तव में गत खसरा नंबर 437 एवं 474 का हिस्सा है जबकि मिलान क्षेत्रफल से गलती से खसरा नं. को गत खतरा नं. 466/2 से बनना बताकर प्रहलाद, रामधन व हरिनारायण पुत्र शिवसहाय प्रतिवादीगण 1 ता 3 के खाते में गलत द[illegible] प्रतिवादीगण का वर्तमान खसरा नम्बर 340/960 वह गत खसरा नं. 473 एवं 474 का हिस्सा है की कब्जे व खातेदारी ते प्रतिवादी नं. 1 ता 3 का कोई सम्बंध नहीं है [illegible] गलत [illegible]ज वादीगण के अधिकारों के मुकाबले शून्य है तथा उक्त रकबे को कम करने से वादीगण की खातेदारी का रकबा गत के मुकाबले 1 बीघा 3 बिस्वा कम कर दिया जबकि प्रतिवादीगण का रकबा गत के मुकाबले बढा दिया गया है। अंतः उसका संशोधन मानचित्र मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी में किया जाना आवश्यक है । यहकि प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने अपने खाते का विभाजन कर खसरा नंबर 340/960, प्रतिवादी नं. 1 के नाम लगा दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

0 / 960 प्रतिवादीगण 4 लगायत 8 को विक्रय कर दिया जिसका उनको कॉंई अधिकार नहीं . तथा उक्त विक्रय वादीगण की खातेदारी का होने से वादीगण के अधिकारों के मुकाबले न्य है । उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण 1 ता 3 का कभी कब्जा नहीं था । अतः क्रेतागण प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 8 का भी कब्जा नहीं है । वादीगण को मानचित्र जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्र में किये गये इन्द्राज की जानकारी पूर्व में नहीं थी किंतु प्रतिवादीगण 4 लागायत 8 द्वारा उक्त भूमि को उनका कब्जा न होने ते 6 माह सितम्बर में विक्रय करने की धमकी दी तो मानचित्र व मिलान देशफल की नकल लेने पर उक्त तथ्य की जानकारी मिली । वादीगण ने प्रतिवादी गण 1 लगायत 8 को मानवित्र व जमाबंदी में गत इन्द्राज के अनुसार दुरुस्ती कराने से मना कर दिया अतः वादीगण के लिये आवश्यक हुआ कि वे गत मानचित्र व जमाबंदी के अनुसार वर्तमान मानचित्र व जमाबंदी में दुरुस्ती करायें एवं अपनी खातेदारी की भूमि की सीमाएं सुनिश्चित करावें । वर्तमान बंदोबस्त में प्रतिवादीगण के नाम गलत इंद्राज के आधार पर भूमि को विक्रय करने की फिराक में है यदि वे भूमि को विक्रय कर देते हैं अथवा वादीगण को बेदखल कर देते हैं तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी अतः वादीगण के लिये वाद स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वाद हेतु बाबत अधिकार घोषणा विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 8 गत खसरा नंबर 473 व 474 का रकबा का वर्तमान खसरा नंबर 340 / 960 में गलत रूप से शामिल कर देने तथा माह अक्टूबर में उसे दुरुस्त कराने से मना करने तथा बाबत निषेधाज्ञा माह अक्टूबर मैं ही भूमि को अन्य लोगों को विक्रय करने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ । यधपि वाद हेतु भूमि एवं पक्षकारों के निवास स्थान न्यायालय क्षेत्र में स्थित होने से वाद को सुनने का अधिकार न्यायालय को है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 डिक्री किया जावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 तथा 4 लगायत 8 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादपत्र का मद संख्या–1 जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील किया गया है, गलत होने से अस्वीकार है। इस मद में वादीगण द्वारा खसरा नंबर 473 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नंबर 474 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि होना अंकित की है जो सादिया कालया, धन्ना पुत्रान नाथ्या, नानगा पुत्र पूरा, गणेश पुत्र रूडा व जैना पुत्र मांगीलाल की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है जिसका अंकन पूर्व में होना बताया है परन्तु उक्त मद में यह कहीं भी वादीगण ने अंकित नहीं किया है कि उनके पास कुल कितनी भूमि थी तथा किन–किन खसरान की भूमि थी तथा वर्तमान में कुल कितनी भूमि शेष रही व कितनी भूमि किन–किन खसरो में विभाजित होकर किन–किन के नाम में गई, का अंकन वादपत्र में नहीं होने व उक्त स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण विस्तृत जवाब दिया जाना सम्भव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

दीगण ने जानबूझकर तथ्यों को छुपाया है। इस कारण वाद, वादीगण चलने योग्य नहीं है। ष कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादीगण ने इस मद में वेग प्लीडिंग्स की है जिसका कोई सार नहीं निकलता । वादीगण द्वारा जब तक संपूर्ण कृषि भूमि का विवरण नहीं दिया जाता तब तक उक्त मद का जवाब दिया जाना संभव नहीं है। वादपत्र का मद संख्या–2 जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील किया गया है, गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण ने उक्त मद में यह अंकित किया है कि वर्तमान बन्दोबस्त होने पर भूमि खसरा नंबर 474 के कई टुकडे कर वर्तमान खसरा नंबर 341, 359, 358, 356 में अन्य नबरो के साथ शामिल कर दिये एवं खसरा नंबर 473 के कई टुकडे कर नवीन खसरा नंबर 340 रकबा 0.04 एवं खसरा नंबर 341, 355, 356, 357 में शामिल कर दिया गया किन्तु उक्त नंबरान बनाते समय यह नहीं बताया कि खसरा नंबर 473 व 474 का कितना कुल रकबा किस नंबर में मिला दिया गया जिसका स्पष्ट किया जाना आवश्यक था, गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि वादीगण ने जानबूझकर तथ्यों को छुपाते हुऐ उक्त मद में यह कथन गलत अंकित किया है। वादीगण द्वारा राजस्व रिकोर्ड निकलाने उप अपलोकन किये जाने से यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो सकती है। वादपत्र का मद संख्या–3 जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील किया गया है. गलत होने से अस्वीकार है। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने से उक्त खसरा नंबर की स्थिति स्पष्ट होती है कि उक्त खसरा नंबरान की भूमि किस खसरा नंबर में लगाई गई है। एवं उक्त भूमि किसके नाम अंकित हुई है। परन्तु वादीगण ने जानवूझकर गलत वाद दायर किया है जो सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादपत्र का मद संख्या–4 जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील किया गया है, गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण का यह कथन कि वर्तमान खसरा नंबर 340 जिसे खसरा नंबर 473 से बनना बताया है में वादीगण के आवासीय मकान बने हुऐ है किन्तु उक्त खसरा नंबर के उत्तर पूर्व व पश्चिम में नवीन खसरा नंबर 340/960 रकबा 0.31 हैक्टे, बनाया गया है वह वास्तव में गत खसरा नंबर 473 व 474 का हिस्सा है, जबकि मिलान क्षेत्रफल की गलती से उक्त खसरा नंबर को गत खसरा नंबर बनना बताकर प्रहलाद, रामधन, हरिनारायण पुत्र शिवसहाय प्रतिवादी 1 लगायत 3 के खाते में गलत दर्ज कर दिया है, नितान्त असत्य होने से अस्वीकार है। उक्त मद में यह भी अस्वीकार है कि वादीगण के मकानात खसरा नंबर 340 जोकि खसरा नबर 474 स बनना बताया है नितान्त असत्य है जबकि सही तथ्य यह है कि गण ने खाते की संपूर्ण भूमि का विवरण नहीं दिया है, जिसका लगायत स्पष्ट विवरण दिया जाना आवश्यक है, मिन [illegible] गण का शामलाती कृषि भूमि ग्राम बैनाड तन दौलतपूरा तहसील आमेर में थी जिसके बटवारे के लिए मिन प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होने के कारण न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर के यहां एक वाद जनवानी रामधन बनाम प्रहलाद व अन्य प्रकरण सं. 1[illegible]/96 प्रस्तुत किया गया जिसमें पक्षकारान में राजीनामा होकर दिनांक 11–9–2000 को प्रारम्भिक डिकी बनाई गई व अंतिम डिकी दिनांक 4–1–2001 को बनाई गई जिसके अनुसार कुरेजात के आधार पर खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

/2 रकबा 1.56, 337/969 रकबा 0.02 कुल रकबा 1.50 हेक्टेयर मिन प्रतिवादी सं.2 के से में आया एवं खसरा नंबर 282/958 रकबा 0.10, खसरा नंबर 340/960 रकबा 0.31 खसरा नंबर 331/1 रकबा 1.17 कुल 1.58 हेक्टेयर मिन प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में या इसी प्रकार खसरा नंबर 249 रकबा 1.33 एवं खसरा नंबर 250 रकबा 0.92 कुल रकबा 25 हेक्टेयर की खातेदारी मिन प्रतिवादी सं.3 के हिस्से में आया। इस प्रकार विवादित खसरा नंबर 340/960 गत खसरा नंबर 466/2 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा का हिस्सा है, जो उपरोक्त अनुसार राजीनामें के आधार पर विभाजित किया जाकर दावा डिकी किया गया है। वादीगण ने जानबूझकर बदनियती के आधार पर केवल मात्र खसरा नंबर 473 व 474 का वाद प्रस्तुत किया है जो गत खसरा नंबरान का हिस्सा है। वादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान को मुगालते में रख कर वाद प्रस्तुत किया गया है। भू–प्रबन्ध के पूर्व दावे में अंकित खातेदारी में खसरा नंबरान सादिया काल्या, धन्ना पुत्रान नाथ्या हिस्सा 1/4, नानगरा पुत्र पूरा हिस्सा 1/4 गणेश पुत्र रूडा हिस्सा 1/4, जैला पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/4 की खातेदारी काश्त थी जिनके शामलाती दो खाते थे जिनके पहले खाते में 44 बीघा 19 बिस्वा भूमि थी एवं कुल 15 खसरा नंबर थे जिसमें विवादित खसरा नंबर 474 व 474 भी शामिल थे। एक अन्य दूसरा खाता जो खसरा नंबर 468/2 में 10 बीघा का था। इस प्रकार इनके पास भू–प्रबन्ध के पूर्व 54 बीघा 19 बिस्वा भूमि शामलाती थी। भू–प्रबन्ध के बाद उक्त चारों खातेदारों में तकासमा होने पर खातेदारी में 15 किता के समस्त खसरा नंबरान टूकडो में विभाजित हो गये जो खसरा नंबर 474 व 474 के बंट जाने के कारण इनके भी टूकडे कर दिये गये। भू–प्रबन्ध के बाद वादीगण की किता 7 में कुल 328 हेक्टेयर भूमि ओर प्रतिवादी नं. 9 लगायत 13 के किता 7 में 5.5 हेक्टेयर भूमि एवं प्रतिवादी नं. 14 के हिस्से में कुल किता 8 में 3.32 हेक्टर एवं प्रतिवादी नं. 15 लगायत 19 के किता 8 में 3.31 हेक्टर भूमि बंटवारे में आयी जिसका कुल रकबा 12.96 हेक्टेर की भूमि खातेदारी में चली आ रही है। इसी प्रकार एक शामलाती खाता वादीगण व प्रतिवादी 9 लगायत 19 का ओर था जिसमें नानगा पुत्र पूरा सादिया, कलया पिसरान नाथ्या, भूरा राम रामनारायण, घासीराम, सोहनराम, रमसी पिसरान गणेश हिस्सा व जैला पुत्र मांगीलाल का शामलाती खाता है ओर जिसके खसरा नंबर 340. 349,350,356 में 0. 70 हेक्टर भूमि है अर्थात इस प्रकार कुल 12.96 हेक्टेयर भूमि व 0.7 हैक्टेयर भूमि कुल भूमि 13.66 हेक्टर भूमि वादीगण व प्रतिवादी 9 लगायत 19 के खाते में है पुराने खाते में 54 बीघा 19 बिस्वा की भूमि अंकित है तथा वर्तमान में 13.74 हेक्टे... में अंकित है। इस प्रकार कुल 0.08 हेक्टे. भूमि कम खाते में अंकित है ... खसरा नंबर 341 में चली गई है जो वर्तमान में नये खसरा नंबर 341 जयपुर विकास ... खाते में 0.40 हेक्टे. भूमि बतौर रास्ता दर्ज है जिसमें पुराने खसरा नंबर 473 व 474 के अलावा खसरा नंबर 466, 467, 468/1 का रकबा 40 हेक्टेयर टने पर कूल भूमि 14.14 हेक्टेयर बनती है। इस प्रकार समस्त भूमि का विभाजन अलग–अलग खसरा नबरान में हो गया है और पराने खाते के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

सार उतनी ही भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 4 लगायत 19 के खाते में समान रूप से अंकित
ी आ रही है। परन्तु वादीगण ने जानबूझकर बदनियती के आधार पर मिन प्रतिवादीगण की
मि को हडपने की गरज से झूठा वाद पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।
ादीगण उक्त मद में अंकित कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है एवं ना ही
राजस्व रिकोर्ड में मानचित्र में संशोधन कराने के अधिकारी है। वादीगण का वाद किसी भी
रूप से चलने योग्य नहीं है। वादीगण स्वयं स्वच्छ हाथो से नहीं आये है एवं जानबूझकर अपने
वाद में तथ्यों को छुपाया है वादपत्र का मद संख्या–5 जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील किया
है, गलत होने से अस्वीकार है। मिन प्रतिवादी 1 व 2 एवं 4 लगायत 8 ने किसी प्रकार
कोई गलत कार्यवाही अपने खाते का विभाजन कराकर खसरा नंबर 340/960 में नहीं लगाई
है ओर ना ही कोई गलत बेचान करने की कार्यवाही प्रतिवादी सं. 4 लगायत 8 को की है,
बल्कि सही तथ्य यह है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर–प्रथम के निर्णय एवं डिकी के
अनुसार प्रतिवादी सं.1 उक्त भूमि का खातेदार है एवं खातेदार होने के आधार पर ही मिन
प्रतिवादी सं.1 ने प्रतिवादी सं. 4 लगायत 8 को उक्त भूमि का बेचान किया है, जो किया है।
प्रतिवादी सं.1 को अपने स्वयं के खातेदारी की भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है
वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। कि वह न्यायालय श्रीमान के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत
करते हुए कोई गलत आदेश प्रतिवादी सं.1 व 4 लगायत 8 के विरूद्ध प्राप्त करे। वादीगण को
कोई अधिकार नहीं है कि वह न्यायालय श्रीमान को गलत तथ्य प्रस्तुत कर मिन प्रतिवादी सं.1
की भूमि के संबंध में, जोकि मिन प्रतिवादी सं. 4 लगायत 8 को बेचान की गई है, के संबंध में
किसी प्रकार की कोई घोषणा करवाये वादपत्र का मद संख्या–6 जिस प्रकार तहरीर एवं
तकमील किया गया है, गलत ने से अस्वीकार है। वादीगण का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि
पर प्रतिवादी 1 लगायत 3 का कभी कब्जा नहीं रहा व मिन प्रतिवादी 4 लगायत 8 का भी
कब्जा नहीं है, नितान्त असत्य होने से अस्वीकार है। बल्कि सही तथ्य यह है कि मिन
प्रतिवादी सं लगायत 3 का पूर्ण रूपेण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी के अनुसार व
इससे पूर्व से उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में मिन प्रतिवादी सं.1
द्वारा उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 4 लगायत 8 को बेचान किये जाने के पश्चात मिन प्रतिवादी
सं4 कभी लगायत 8 का पूर्ण कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादीगण का उक्त खसरा नंबरान
कोई कब्जा की भूमि पर नहीं रहा है ना ही उनका कोई मालिकाना हक है। मिन प्रतिवादी 4
लगायत 8 का उक्त खसरा नंबरान की कृषि भूमि पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथ वे ही
खातेदार–काश्तकार है। वादपत्र का मद संख्या–7 जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील किया
गया है, गलत होने से अस्वीकार है। इस मद में यह अस्वीकार है कि वादीगण को मानचित्र
जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल की जानकारी नहीं है। इस मद में वादीगण द्वारा जो तथ्य
अंकित किये गये है, वह स्वयं में विरोधाभाषी है। मिन प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर पूर्ण
रूपेण कब्जा है तथा किसी भी व्यक्ति को बेचान का कोई इरादा नहीं है तथा प्रतिवादी 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर जयपुर

यत 8 उक्त भूमि पर काश्त कर अपने व उनके परिवार का पालन–पोषण करते है। गण भली–भांति यह जानते हैं कि मिन प्रतिवादीगण 4 लगायत 8 सद्भावी केता है एवं नका उक्त भूमि पर पूर्ण रूप से कब्जा व काश्त चली आ रही है। परन्तु वादीगण ने जानबूझकर बदनियती के आधार पर गलत तथ्य अंकित किये है। वादीगण को पूर्व से ही इस बात का पता था एवं वह हमेशा उक्त भूमि खरीद किये जाने के पश्चात से काश्त करते हुए देखते आ रहे है, फिर भी झूठा वाद कारण प्रकट करने की गरज से उक्त तथ्य नितान्त गलत अंकित करते हुए वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। पत्र का मद संख्या–8गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण को कोई अधिकार नहीं है कि वह मिन प्रतिवादी 1 लगायत 8 की न्यायालय से पारित निर्णय व डिकी के अनुसार प्राप्त भूमि में किसी प्रकार की कोई दुरूस्ती राजस्व रिकोर्ड में करवाये एवं ना ही वाटीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मान्य न्यायालय को श्रवण करने का अधिकार है। वादीगण को राजस्व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी को नल एण्ड वोईड कराने के लिए केवल सिविल न्यायालय ही वाद सुनने का क्षेत्राधिकार है। वादीगण न तो प्रतिवादी सं 1 लगायत 8 से कभी इस संबंध में मिले ओर ना ही कोई इस संबंध में बातचीत की ओर वैसे भी वादीगण को कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रतिवादी 1 लगायत 8 की भमि को राजस्व रिकोर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करावे। क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी सं.1 लगायत 3 की ही मिल्कियत की है। वादीगण को किसी प्रकार का मानचित्र व जमाबन्दी में दुरूस्ती कराने का कोई अधिकार नहीं है। वादपत्र का मद संख्या–9 गलत होने से अस्वीकार है। भूमि प्रतिवादी 1 लगायत 8 की है तथा वर्तमान में प्रतिवादी स. 4 लगायत 8 के कब्जेकाश्त में है तथा उनके नाम से ही राजस्व रिकोर्ड में चली आ रही है। इसलिए रिकोर्डेड खातेदारान के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी 4 लगायत 8 अपनी मिल्कियत की भूमि को किसी भी प्रकार से उपयोग एवं उपभोग एवं विक्रय एवं स्थानांतरण करने के अधिकारी है। इसके लिए वादीगण को किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त करने अधिकार नहीं है। वादीगण के मुकाबले प्रतिवादी 4 लगायत 8 को प्रतिबंधित जाने पर अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। क्योंकि विवादित भूमि निवादी सं. 4 लगायत 8 के कब्जेकाश्त में है तथा प्रतिवादी लगायत 8 हो रिकोर्डेड खातेदार है। वादीगण का कोई करना विवादित भूमि पर नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है ना ही वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। वादपत्र का मद संख्या–10 गलत होने से अस्वीकार है। उपरोक्त खसरा नंबरान में जो खसरा नंबर 340 / 960 बना है वह भूमि प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 4 लगायत 8 को विक्रय की जा चुकी है तथा वादीगण को उक्त से कोई अधिकार नहीं है। वादागण स्वच्छ हाथो से नहीं आये है एवं तथ्यों से भलीभांति परिचित हात हुए भी गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया है। वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ । प्रतिवादी 4 लगायत 8 उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से उपभोग एवं उपयोग करने व विक्रय करने को

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
मुख्यालय

स्वतंत्र है। इस द में केवल यह स्वीकार है कि व पक्षकारो के निवास स्थान मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, परन्तु उक्त भूमि के विवादित खसरा नंबर में मान्य न्यायालय सहाय जिलाधीश 340/960 के संबंध कार्यपालक मजि० प्रथम जयपुर के निर्णय एवं डिकी दिनांक 4–1–2001 को नल एण्ड वोइड घोषित कराने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। मान्य न्यायालय को उक्त वाद को श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 14/1 लगायत 14/3 की तरफ से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र का मद नम्बर 1 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है स्वीकार है। यहां यहँ स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि साबिक खसरा नम्बर 473, व 474 में उत्तरदाता के पूर्वज नानगा वल्द भूरा का साबिक राजस्व अभिलेख में 1/4 हिस्सा दर्ज व अंकित रहा हैं। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2014 से 2017 में तथा 2018 से 2021 में अंकित है। अर्थात् वादीगण के साथ उत्तरदाता के पूर्वज भी अपनी अन्य खातेदारियों की भूमियों के साथ उपरोक्त साबिक खसरा नम्बर 473 व 474 के रकबे के 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त रहे हैं, तथा वर्तमान में उत्तरदातागण काबिज काश्त हैं। वाद पत्र का मद नम्बर 2 स्वीकार हैं। उत्तरदाता के पूर्वज साबिक खसरा नम्बर 473 व 474 के 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे इसलिये उत्तरदातागण भी अपने हिस्से की भूमि जो गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई है प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वाद पत्र का मद नम्बर 3 स्वीकार हैं। उत्तरदाता जरिये काउन्टर क्लेम अपने हिस्से की भूमि तथा जमाबन्दी व हाल मानचित्र में गत के मुकाबले जो रकबा कम हुआ है उसे प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वाद पत्र का मद नम्बर 4 स्वीकार हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम वर्तमान खसरा नम्बर 340/960 गलत रूप से अंकित किया हैं। उत्तरदाता वादीगण के साथ उक्त भूमि में वादीगण के समान 1/4 हिस्से की दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वाद पत्र का मद नम्बर 5 सही हैं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने खाते का विभाजन कर खसरा नम्बर 340/960 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लगा दी, तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त खसरा नम्बर 340/960 प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 को विक्रय कर दी जो बमुकाबले वादीगण एवं उत्तरदातागण शून्य हैं। उत्तरदातागण अपने पूर्वजों के रकबे अनुसार उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वाद पत्र का मद नम्बर 6 स्वीकार है तथा उत्तरदातागण अपने पूर्वजों के समय से अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर काबिज हैं। वाद पत्र का मद नम्बर 7 स्वीकार है। उत्तरदाता को प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 द्वारा परेशान करने व कब्जा करने की आशंका के कारण श्रीमान् के समक्ष अपने हिस्से की भूमि का काउन्टर क्लेम पेश कर खातेदारी अधिकार घोषित करवाने हेतु कार्यवाही करना लाजमी हुआ। वाद पत्र का मद नम्बर 8 स्वीकार हैं। उत्तरदाता भी गत मानचित्र व जमाबन्दी के अनुसार वर्तमान मानचित्र व जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाकर अपने खातेदारी भूमि की सीमाएं सुनिश्चित करवाने के अधिकारी हैं। वाद पत्र का मद नम्बर 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

...कार हैं। वाद पत्र का मद नम्बर 10 स्वीकार हैं। वाद पत्र का मद नम्बर 11 कानूनी हैं। ...द पत्र का मद नम्बर 12 कानूनी हैं। काउंटर क्लेम पेश कर अंकित किया कि प्रतिवादीगण ...रा वादीगण की भूमि में माह मार्च 2014 में अवैध रूप से अतिक्रमण करने की कुचेष्टा करने के कारण श्रीमान के समक्ष उत्तरदातागण को काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करना लाजमी हुआ। वादीगण के पूर्वज नानगा पुत्र पूरा का साबिक राजस्व जमाबन्दी में अन्य खसरा नम्बरान् के साथ साबिक खसरा नम्बर 473, 474 में 1/4 हिस्सा अंकित रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा पारस्परिक विभाजन कर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में उक्त भूमि खातेदारी में होने पर प्रतिवादी संख्या 1 अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 को उक्त भूमि अवैधानिक रूप से विक्रय कर दी, जो उत्तरदातागण की पूर्वजों की खातेदारी होने के कारण बमुकाबले उत्तरदातागण प्रभावशून्य हैं। साबिक खसरा नम्बर 473, 474 के उत्तर पूर्व व पश्चिम में नवीन खसरा नम्बर 340/960 रकबा 0.31 हैक्टेयर बनाया है वह वास्तविक रूप से गत खसरा नम्बर 473, 474 का हिस्सा हैं, गलती से मिलान क्षेत्रफल में उक्त खसरा नम्बरान् में गत खसरा नम्बर 466/2 से बनना बताकर प्रहलाद, रामधन, हरिनारायण पुत्रान् शिवसहाय अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के खाते में गलत दर्ज कर दी। जबकि उत्तरदाता का खसरा नम्बर 340/960 के 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त है. व उपयोग उपभोग कर रहे हैं। मिन प्रतिवादीगण द्वारा उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त भूमि को अवैध रूप से अन्तरण करने की कचेष्टा कर रहे हैं। इसलिये उत्तरदातागण को साबिक खसरा नम्बर 473 व 474 का रकबा वर्तमान खसरा नम्बर 340/960 में शामिल कर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी से हजफ किया जाकर उत्तरदातागण को उक्त भूमि के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार जरिये काउन्टर क्लेम विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 घोषित किया जायें, तथा मानचित्र व मिलान क्षेत्रफल में दुरुस्ती किया जाकर उत्तरदातागण की सीमाएँ सुरक्षित करते हुये प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 को पाबन्द किया जायें कि उत्तरदाता की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें न ही भूमि को खुर्द बुर्द करें।

जवाब दावा, काउण्टर क्लेम एवं साक्ष्यो के आधार निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया विवादित आराजी मौजा बेनाड के साबिक ख. नं. 473 व 474 रकबा वर्तमान खसरा नम्बर 340/960 में शामिल [illegible] दिया है तथा प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है, जिस पर प्रतिवादीगण का [illegible] अधिकार नहीं है। जिसे दुरूस्त करवा कर वादीगण अपने [illegible] करवाने [illegible]कारी है। क्योकि उपरोक्त रकबा वादीगण के खातेदारी भूमि का [illegible]

— जिम्मे वादीगण

2. आया विवादग्रस्त आराजी का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वादीगण का था जिसे प्रतिवादीगण के रकबे में शामिल कर दिया गया है, जिसे वादीगण दुरूस्त करवा कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

– जिम्मे वादीगण

3. आया विवादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है।

– जिम्मे वादीगण

4. आया विवादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कोई हक हकूक नहीं है, क्योकि प्रतिवादी ए.सी.एम. न्यायालय द्वारा पारित डिक्री एवं निर्णय दिनांक 04.01.2001 की अनुपालना में ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है अतः वादीगण रिकार्डेड खातेदारी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी हकदार है।

– जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया वादीगण तथ्य छुपाकर गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए न्यायालय में वाद लाये जो काबिले खारिज है।

–जिम्मे प्रतिवादीगण

6. अनुतोष / दादरसी

अतिरिक्त तनकी

7. आया प्रतिवादी नम्बर 14/1 लगायत 14/3 का वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 340/960 के 1/4 की घोषणा जरिये काऊंटर क्लेम करवा कर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

– जिम्मे प्रतिवादी 14/1 से 14/3

तद्उपरान्त वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–पी 1 नकल खतौनी (जमाबन्दी) सम्वत 2010 से 2023 जमाबन्दी, सम्वत 2015 से 2018, प्रदर्श–पी 2 जमाबन्दी सम्मत 2018 से 2021, प्रदर्श पी 3 जमाबन्दी सम्मत 2025 से 2028, प्रदर्श–पी 4 नक्शा सम्मत 1950 प्रदर्श पी 5, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 6, साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 7. नकल जमाबन्दी सम्मत 2056 प्रदर्श पी 8, नकल जमाबन्दी सम्मत 2068 से 2061 प्रदर्श पी–9, पर्चा खतौनी खातेदारी दिनांक 25.03.1994 प्रदर्श पी–10, नकल जमाबन्दी सम्मत 2065 से 2065 प्रदर्श पी–11, गत मानचित्र एवं हाल मानचित्र (नक्शा ट्रेस) प्रदर्श पी 12, नया नक्शा सैटलमेन्ट हाल प्रदर्श पी–12, नकल हाल नक्शा पटवारी द्वारा प्रदर्श पी–13 पेश किया है एवं प्रदर्श पी–13 तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, प्रदर्श पी–15 ... मौका रिपोर्ट प्रदर्श पी–16 खतौनी बन्दोबस्त सम्मत 2010 से 2023 ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

PW–1 मोहन पुत्र साधिया निवासी दौलतपुरा मय बैनाड तहसील आमेर
PW–2 बाबूलाल पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी दौलतपुरा मय बैनाड, तहसील आमेर, जयपुर
PW–3 रामचरण पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण निवासी दौलतपुरा मय बैनाड तहसील आमेर जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

PW–4 हनुमान सहाय पुत्र स्व. कालिया उर्फ कालूराम जाति गुर्जर निवासी दौलतपुरा मय बैनाड तहसील आमेर जयपुर वादीगण के मौखिक साक्ष्य पेश किये।

प्रतिवादी साक्ष्य वादी हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

DW–1 बाबूलाल पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम नांगल पुरोहितान तहसील आमेर

DW–2 मन्ना लाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर जयपुर

DW–3 नानूराम पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नांगल सिरस तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर

प्रतिवादीगण ने जमाबंदी/खतौनी संवत 2062 से 2065 प्रदर्श ए–1, न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम द्वारा विभाजन निर्णय व डिक्री दिनांक 04–01–2001 प्रदर्श ए–2, प्रदर्श ए–3 खसरा गिरदावरी संवत 2080 खाता संख्या 231, प्रदर्श ए–4 विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2001, दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

1. आया विवादित आराजी मौजा बेनाड के साबिक ख. नं. 473 व 474 रकबा वर्तमान खसरा नम्बर 340/960 में शामिल कर दिया है तथा प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है, जिस पर प्रतिवादीगण का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जिसे दुरूस्त करवा कर वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। क्योकि उपरोक्त रकबा वादीगण के खातेदारी भूमि का रकबा है।
– जिम्मे वादीगण

2. आया विवादग्रस्त आराजी का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वादीगण का था जिसे प्रतिवादीगण के रकबे में शामिल कर दिया गया है, जिसे वादीगण दुरूस्त करवा कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है।
– जिम्मे वादीगण

चूँकि उपरोक्त दोनों तनकीयातएक–दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं और इनका विषय–वस्तु (Subject Matter) एक ही विवादित भूमि के स्वामित्व और रिकॉर्ड दुरुस्ती से संबंधित है, अतः न्यायहित में और पुनरावृत्ति से बचने के लिए इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन दोनों तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण पर था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जो पक्षकार न्यायालय के समक्ष किसी तथ्य का अस्तित्व बताता है, उसे ही वह तथ्य दस्तावेजों से साबित करना होता है। वादीगण को यह सिद्ध करना था कि विवादित नया खसरा नंबर 340/960 (रकबा 0.31 हेक्टेयर) वास्तव में उनके पुराने खसरा नंबर 473 व 474 से ही बना है। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर प्र. जयपुर

…क साक्ष्य के रूप में पीडब्ल्यु–1 मोहन, पीडब्ल्यु–2 बाबूलाल आदि के बयान दर्ज करवाए
…दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2010 से 2023 (प्रदर्श –1), नक्शे (प्रदर्श–5,प्रदर्श–6,
…र्श–7) और परचा खतौनी (प्रदर्श–18) प्रस्तुत की । वादीगण का तर्क है कि सेटलमेंट
…गाग ने त्रुटिवश उनके खसरा नं. 473 (2 बीघा 3 बिस्वा) और 474 (1 बीघा 10 बिस्वा) के
…कबे को कम कर दिया और मिलान क्षेत्रफल में गलती करते हुए इसे प्रतिवादीगण के नाम
…र खसरा 340/960 के रूप में दर्ज कर दिया । परंतु, न्यायालय द्वारा पत्रावली के गहन
अवलोकन पर यह पाया गया कि वादीगण ने ऐसा कोई 'सुपर इम्पोजिशन मैप'
…perimposition Map) या किसी अधिकृत सर्वेयर की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है जो वैज्ञानिक
रूप से पुराने नक्शे को नए नक्शे पर रखकर यह सिद्ध कर सके कि खसरा नं. 473 व 474
की भौगोलिक स्थिति ही वर्तमान खसरा 340/960 है ।
वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह स्वीकार किया है कि खसरा नं. 473 और 474 के कई
टुकड़े हुए और वे अन्य नंबरों (जैसे 341, 359, 358 आदि) में भी मिले हैं । वादीगण यह
स्पष्ट करने में विफल रहे हैं कि उनके मूल रकबे का कितना भाग किस–किस नए नंबर में
गया। इसके विपरीत, प्रतिवादीगण ने अपने बचाव में अत्यंत ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए
हैं। प्रतिवादीगण ने यह तर्क दिया कि विवादित खसरा नं. 340/960 का निर्माण वादीगण के
खसरों से नहीं, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साबिक खसरा नं. 466/2 (रकबा 12 बीघा
10 बिस्वा) से हुआ है । इस तथ्य की पुष्टि हेतु प्रतिवादीगण ने निम्न महत्वपूर्ण दस्तावेज
प्रस्तुत किए जिनका वादीगण खंडन नहीं कर पाए, प्रदर्श ए–2 (निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.
2001) यह डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्रथम), जयपुर द्वारा वाद संख्या 119/96 में
पारित की गई थी । इस डिक्री के तहत प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन हुआ और मौका
मुआयना व कुर्रेजात के आधार पर खसरा नं. 340/960 (0.31 हेक्टेयर) प्रतिवादी संख्या 1 के
हिस्से में आया एक सक्षम न्यायालय की डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में मात्र इन्द्राज से अधिक भार
रखती है। प्रतिवादीगण ने मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत कर यह साबित किया कि उनके साबिक
खसरा 466/2 के रकबे का रूपांतरण ही वर्तमान खसरा नंबरों में हुआ है।
प्रतिवादीगण ने यह महत्वपूर्ण तर्क रखा कि वादीगण के पास कुल 54 बीघा 19 बिस्वा जमीन
थी, जो मैट्रिक प्रणाली में 13.74 हेक्टेयर बनती है। वर्तमान बंदोबस्त में भी वादीगण के पास
लगभग इतनी ही भूमि है। वादीगण ने [illegible] दो खसरों का विवाद उठाया लेकिन अपनी कुल
जोत (Total Holding) का मिलान पेश नहीं किया, जिस[illegible] होता है कि उनका रकबा
कम नहीं हुआ है, बल्कि उसका समायोजन अन्य [illegible] जैसे [illegible] रास्ता/जेडीए) में हो गया
है । इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें 1[illegible] 231 (A), 1998 RBJ 610, 2001
RBJ 170, 2008 RRT 151 HC, 2020 RRT 2 Page 24, का [illegible] अवलोकन किया। विधि का यह
सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायिक दृष्टांत तभी लागू होते हैं जब मामले के तथ्य और
परिस्थितियाँ समान हों। हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरें इस मामले पर पूर्णतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

नहीं होती हैं। फलस्वरूप वादीगण यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं कि दित नया नंबर उनके पुराने नंबरों से बना है। प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य (मिलान फ़ल, डिक्री, जमाबंदी) से यह प्रमाणित कर दिया है कि विवादित भूमि उनकी पैतृक संपत्ति सरा 466/2) का हिस्सा है। अतः, वादीगण का यह तर्क कि "सेटलमेंट विभाग ने बिना धेकार इंद्राज बदला" तथ्यहीन और आधारहीन पाया जाता है। वादीगण अपनी खातेदारी या त्व विवादित भूमि पर साबित करने में विफल रहे हैं।

3. आया विवादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है।

– जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने दावा किया कि उनके मकान बने हैं, लेकिन प्रतिवादीगण ने खसरा गिरदावरी (प्रदर्श ए–3) प्रस्तुत की है जिसमें काश्तकार के रूप में प्रतिवादीगण (क्रेतागण) का नाम दर्ज है। जब तनकी संख्या 1 व 2 में यह पाया गया है कि विवादित भूमि पर वादीगण का स्वत्व साबित नहीं है और वह भूमि प्रतिवादीगण द्वारा वैध रूप से क्रय की गई है, तो पंजीकृत स्वामी के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। वादीगण अपना आधिपत्य (Possession) संदेह से परे साबित करने में असफल रहे हैं। अतः यह तनकी वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

4. आया विवादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कोई हक हकूक नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी ए.सी.एम. न्यायालय द्वारा पारित डिकी एवं निर्णय दिनांक 04.01.2001 की अनुपालना में ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है अतः वादीगण रिकार्डेड खातेदारी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी हकदार है।

– जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य में न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर–प्रथम का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2001 (प्रदर्श ए–2) पेश की है। यह डिक्री राजस्व अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना और कुरेजात के आधार पर तैयार की गई थी। वादीगण ने उक्त डिक्री को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अपास्त नहीं करवाया है। जब तक कोई डिक्री सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित न हो, वह प्रभावी रहती है। उक्त डिक्री के अनुसार विवादित भूमि 1 के हिस्से में आई थी, जिसे विक्रय करने का उन्हें पूर्ण अधिकार था। वादीगण डिक्री के प्रभाव को खंडित करने में असफल रहे हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

5. आया वादीगण तथ्य छुपाकर गलत तथ्य प्रस्तुत कर न्यायालय में वाद लाये जो काबिले खारिज है।

–जिम्मे प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

...की संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण का तर्क है कि ...गण के पास कुल 54 बीघा 19 बिस्वा भूमि थी, लेकिन उन्होंने वाद में केवल दो खसरों (...3 व 474) का उल्लेख किया और शेष भूमि का हिसाब नहीं दिया। यह "Clean Hands" (...च्छ हाथ) के सिद्धांत के विपरीत है। वादीगण को अपनी संपूर्ण जोत का मिलान प्रस्तुत ...रना चाहिए था ताकि यह पता चल सके कि उनका रकबा वास्तव में कम हुआ है या किसी ...न्य नंबर (जैसे 341) में समायोजित हुआ है। संपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना वादीगण की ...दनियती को दर्शाता है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

...की संख्या 7 (अतिरिक्त – काउंटर क्लेम):

7. आया प्रतिवादी नम्बर 14/1 लगायत 14/3 का वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 340/960 के 1/4 की घोषणा जरिये काउंटर क्लेम करवा कर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतिरिक्त तनकी– जिम्मे प्रतिवादी 14/1 से 14/3

अतिरिक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण/काउण्टरक्लेम कर्ता 14/1 से 14/3 पर है। प्रतिवादी संख्या 14/1 से 14/3 ने काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर 1/4 हिस्से की मांग की थी। चूँकि तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन में यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित भूमि (340/960) वादीगण या उनके सह–खातेदारों (जिनमें प्रतिवादी 14/1–3 शामिल हैं) के साबिक खसरों का भाग नहीं है, बल्कि यह प्रतिवादी संख्या 1–3 के स्वतंत्र खाते (खसरा 466/2) से बनी है। अतः जब मूल जड़ ही प्रतिवादी संख्या 1–3 (और अब क्रेता 4–8) की सिद्ध हो चुकी है, तो प्रतिवादी 14/1 से 14/3 का इसमें कोई हिस्सा नहीं बनता। अतः काउंटर क्लेम अस्वीकार किया जाकर यह तनकी प्रतिवादी 14/1 से 14/3 के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

आदेश

तनकी संख्या 01 लगायत 03 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रहे हैं तथा तनकी संख्या 7 काउंटरक्लेमकर्ता के विरुद्ध साबित होने से वादीगण का वाद एवं काउण्टरक्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद एवं काउण्टरक्लेम खारिज किया जाता है। तदनुसार डिकी जारी की जाये। पत्रावली नियमानुसार तैयार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

[...]त वाद संख्या – 727 / 2008 वाद प्रस्तुति दिनांक –30.06.2008

[...]हन लाल दत्तक पुत्र कालिया
[...]लिया (फौत)
/1. श्रीमति भूरी देवी पत्नी स्व० कालिया
/2. देवाराम पुत्र स्व० कालिया
[...]. हनुमान सहाय पुत्र स्व० कालिया
/4. गिरधारी पुत्र स्व० कालिया निवासी दौलतपुरा मय बैनाड वाया झोटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2/5. सोनी उर्फ भैरी पुत्री स्व० कालिया पत्नी रामचन्द्र निवासी जगन्नाथपुरा पोस्ट सेवापुरा वाया हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2/6. कौशल्या पुत्री स्व० कालिया पत्नी बाबूलाल निवासी ग्राम बासना पोस्ट बासना वाया भानपुर कला तहसील जमवारमगढ
2/7. इन्द्रा पुत्री स्व० कालिया पत्नी रामदयाल निवासी ग्राम दीपपुरा टोडी पोस्ट सेवापुरा वाया हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2/8. छोटी देवी पुत्री स्व० कालिया पत्नी जगदीश प्रसाद निवासी बासना पोस्ट बासना वाया भानपुर कला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. रामलाल पुत्र स्व० धन्ना 2
4. बाबूलाल पुत्र स्व० धन्ना
5. प्रकाश पुत्र स्व० धन्ना
जाति गुर्जर निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर। –वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद (फौत)
1/1. श्रीमति रामेश्वरी देवी पत्नी स्व० प्रहलाद जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर 26–ए, केशव नगर सिविल लाईन जयपुर।
1/2. बंशीधर पुत्र स्व० प्रहलाद
1/3. महेशचन्द पुत्र स्व० प्रहलाद
1/4 कैलाशचंद पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद
1/5. गिर्राज पुत्र स्व० प्रहलाद
1/6. ओमप्रकाश पुत्र स्व० प्रहलाद [...] निवासी प्लाट नम्बर 26–ए, केशव
1/7. सत्यनारायण पुत्र स्व० प्रहलाद [...] निवासी प्लाट नम्बर 2304 नगर सिविल लाईन जयपुर।
1/8. कमला देवी पत्री प्रहलाद पत्नी [...] पुरानी बस्ती जयपुर। लक्ष्मीनारायण जी का मन्दिर दीनदयाल जी क[...]
2 रामधन पुत्र शिवसहाय (फोत)
2/1. अशोंक
2/3. अजय
2/4. अरविन्द

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

पुत्रान स्व० रामधन जाति ब्राहम्ण नि० दौलतपुरा बैनाड हाल प्लाट नं० 72 शंकर विहार चरणनदी, सरकारी स्कुल के पास मुरलीपुरा जयपुर

/4. संतोष

/5. सुमन

पुत्रियां स्व० रामधन जाति ब्राहम्ण नि० दौलतपुरा बैनाड हाल प्लाट नं० 72 शंकर विहार चरणनदी, सरकारी स्कुल के पास मुरलीपुरा जयपुर

3. हरिनारायण पुत्र शिवसहाय, जाति ब्राह्मण, निवासी दौलतपुरा, तहसील आमेर।

4. रामचन्द्र पुत्र गंगाराम 3

5. छीतर पुत्र गंगाराम

पन्नालाल पुत्र गंगाराम

7. नानूराम पुत्र गंगाराम

8. बदरी पुत्र गंगाराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर जिला जयपुर।

9. रामस्वरूप पुत्र जैना

10. गोपाल पुत्र जैना

11. फूलचन्द पुत्र जैना

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

12. महेश पुत्र सीताराम

13. मुकेश पुत्र सीताराम

जाति गुर्जर निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

14. नानगा पुत्र भूरा (मृतक दौराने वाद)

14/1. रामपाल पुत्र स्व० नानगा

14/2. गोपीचन्द पुत्र स्व० नानगा

14/3. भागीरथ पुत्र स्व० नानगा निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

15. भूराराम पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

15/1 बलराज.

15/2. कैलाश

पुत्रान स्वर्गीय भूरा, जाति गुर्जर निवासी दौलतपुरा बैनाड़ तहसील आमेर जिला जयपुर।

15/3. कमला पुत्री स्व. भूरा पत्नी प्रभू जाति गुर्जर, निवासी मूण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर।

15/4. पतासी पुत्री स्व. भूरा पत्नी श्रवण जाति गुर्जर, निवासी मूण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर।

15/5. सायर पुत्री स्व. भूरा पत्नी स्व. हनुमान सिंह, निवासी सुल्तानपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।

15/6. विष्णु पुत्र स्व. जगदीश पुत्र स्व. [illegible] निवासी [illegible]पुरा [illegible]ड़ तहसील आमेर जिला जयपुर।

15/7. राजबाई उर्फ राजू पत्नी स्व. जगदीश निवासी [illegible] तहसील आमेर जिला जयपुर।

15/8. टीना देवी पुत्री स्व. जगदीश, निवासी दौलतपुरा बैनाड़ तहीसल आमेर जिला जयपुर।

15/9. कोमल

16. रामनारायण (मृतक दौराने वाद) उर्फ नारायण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

16/1. रामलाल पुत्र रामनारायण
16/2. जयपाल पुत्र रामनारायण
16/3. प्रकाश पुत्र रामनारायण
निवासी ग्राम दौलतपुरा बैनाड तहसील आमेर जिला जयपुर।
16/4. मन्ना देवी उर्फ मनभर देवी पत्री स्व० रामनारायण पत्नी पांचूराम गुर्जर निवासी टोडी दीपा पोस्ट हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
17. घासीराम पुत्र गणेश (दौराने वाद फौत)
17/1. श्रीमति केसर देवी पत्नी स्व० घासीराम
17/2. बनवारी लाल पुत्र स्व० घासीराम
जाति गुर्जर निवासी दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
17/3. विमला देवी पुत्री स्व० घासीराम पत्नी अर्जुन लाल निवासी लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
17/4. भागोती पुत्री स्व० घासीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति गुर्जर निवासी लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
17/5. बिरदी देवी पुत्री स्व० घासीराम पत्नी छाजूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
17/6. मीरा पुत्री स्व० घासीराम पत्नी सुरेश उर्फ बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी सेवापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
18. सोहनराम (फौत)
18/1. बाबूलाल पुत्र सोहनराम
18/2. शंकर पुत्र सोहनराम (दौराने वाद फौत)
18/2/1. कमली देवी पत्नी शंकर
18/2/2. भैरूराम पुत्र शंकर
18/3. हजफ (लक्ष्मादेवी पत्नी सोहनराम मृत्यू होने व कायम मुकाम पूर्व से ही रिकोर्ड पर होने के कारण नाम डिलिट किया गया
18 / 4. श्रवणी सोहनराम पत्नी रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी सिरोही तहसील आमेर
18/5. चाद पुत्री सोहनराम पत्नी मदनलाल जाति गुर्जर निवासी सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर
19. रमशी उर्फ रामेश्वर पुत्र गणेश (मृतक दौराने वाद)
19/1. चन्दालाल
19/2. राजू
19/3. जगदीश
19/4. सूरजमल
19/5. काना
19/6 छूटन
पुत्रान स्व० रमशी उर्फ रामेश्वर दौलतपुरा बैनाड तहसील आमेर जिला जयपुर
20 तहसीलदार आमेर जिला जयपुर
21. उपपंजीयन आमेर जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

तनकी संख्या 01 लगायत 03 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रहे हैं तथा तनकी संख्या 7 काउंटरक्लेमकर्ता के विरूद्व साबित होने से वादीगण का वाद एवं काउण्टरक्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद एवं काउण्टरक्लेम खारिज किया जाता है। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 04.02.2026 को जारी किया ।

दस्तखत——

ओहदा——

(मुहर: न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर)

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान	4 रूपये		मीजान	4 रूपये	

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested